

कार्यालय, मुख्य वन संरक्षक/नोडल अधिकारी, उत्तर प्रदेश, लखनऊ।
पत्रांक— /11सी- FP/UP/Others/23174/2016, लखनऊ, दिनांक: अक्टूबर 12, 2018

सेवा में,

प्रमुख सचिव (वन),
उ०प्र० शासन,
वन एवं वन्य जीव, अनुभाग-2,
लखनऊ।

विषय:— हरदोई में बिलग्राम-उन्नाव मार्ग एस०एच० 38 के कि०मी० 01 से 02 के मध्य बायी पटरी पर ग्राम चौदपुर बाहर परगना व तहसील बिलग्राम के गाटा सं० 229 व 230 पर एच०पी०सी०एल० द्वारा स्थापित किये जा रहे रिटेल आउटलेट के सम्पर्क मार्ग निर्माण हेतु 0.08471 हे० संरक्षित वनभूमि के गैर वानिकी के गैर वानिकी प्रयोग एवं उस पर अवस्थित 20 पौधों (पूर्व में प्रस्तावित 46) के पातन की अनुमति।

सन्दर्भ:— उ०प्र०, शासन का पत्रांक-3329/14-2-2018-800(82)/2017, दिनांक-10.10.2018

महोदय,

उपरोक्त संदर्भित पत्र का अवलोकन करने की कृपा करें। उपरोक्त संदर्भित पत्र के द्वारा विषयांकित प्रकरण में वांछित सूचना/आख्या इस कार्यालय के पत्रांक-659/11सी-FP/UP/Others /23174/2016, दिनांक 26.09.2018 द्वारा आपको पूर्व में प्रेषित किया जा चुका है।

अतः सुलभ संदर्भ हेतु उक्त पत्र की छायाप्रति आवश्यक अग्रेत्तर कार्यवाही हेतु प्रेषित की जा रही है।

संलग्नक:—यथोक्त।

भवदीय,
12/10/18

(पंकज मिश्र)

मुख्य वन संरक्षक/नोडल अधिकारी,
उ०प्र०, लखनऊ।

पत्रांक:— 803 /11-सी-FP/UP/Others/23174/2016, दिनांकित।

प्रतिलिपि—निम्नलिखित अधिकारियों को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:—

1. मुख्य वन संरक्षक, लखनऊ मण्डल, उ०प्र०, लखनऊ।
2. प्रभागीय निदेशक, सामाजिक वानिकी प्रभाग, हरदोई।
3. मुख्य क्षेत्रीय प्रबन्धक, एच०पी०सी०एल०, प्लॉट न० 1, नेहरू इन्क्लेव, गोमती नगर, लखनऊ।

६९

(पंकज मिश्र)

मुख्य वन संरक्षक/नोडल अधिकारी,
उ०प्र०, लखनऊ।

कार्यालय, मुख्य वन संरक्षक/नोडल अधिकारी, उत्तर प्रदेश, लखनऊ।
पत्रांक-659/11सी-FP/UP/Others/23174/2016, लखनऊ, दिनांक: सितम्बर 26, 2018

सेवा में,

प्रमुख सचिव (वन),
उ०प्र० शासन,
वन एवं वन्य जीव, अनुभाग-2,
लखनऊ।

विषय:- हरदोई में बिलग्राम-उन्नाव मार्ग एस०एच० 38 के कि०मी० 01 से 02 के मध्य बायी पटरी पर ग्राम चौदपुर बाहर परगना व तहसील बिलग्राम के गाटा सं० 229 व 230 पर एच०पी०सी०एल० द्वारा स्थापित किये जा रहे रिटेल आउटलेट के सम्पर्क मार्ग निर्माण हेतु 0.08471 हे० संरक्षित वनभूमि के गैर वानिकी के गैर वानिकी प्रयोग एवं उस पर अवस्थित 46 पौधों के पातन की अनुमति।

सन्दर्भ:- भारत सरकार का पत्रांक-8बी/यू०पी०/०६/८/२०१८/एफ०सी०/३२२, दिनांक-०२.०८.२०१८

महोदय,

उपरोक्त संदर्भित पत्र का अवलोकन करने की कृपा करें। भारत सरकार के उपरोक्त संदर्भित पत्र के द्वारा विषयांकित प्रकरण में वांछित सूचना/अभिलेख मुख्य वन संरक्षक, लखनऊ मण्डल, लखनऊ ने अपने पत्रांक-1438/14-10-4, दिनांक 25.09.2018 द्वारा इस कार्यालय को प्रेषित किया है।

अतः उक्त पत्र की छायाप्रति सहित वांछित सूचना/अभिलेख की दो प्रतियाँ इस आशय से संलग्न कर प्रेषित की जा रही हैं कि कृपया एक मूल प्रति पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, भारत सरकार, अलीगंज, लखनऊ को प्रेषित करने की कृपा करें।

संलग्नक:-यथोक्त।

भवदीय,
26/9
(पंकज मिश्र)

मुख्य वन संरक्षक/नोडल अधिकारी,
-ACM उ०प्र०, लखनऊ।

पत्रांक:-659/11सी-FP/UP/Others/23174/2016, दिनांकित।

प्रतिलिपि-निम्नलिखित अधिकारियों को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

1. मुख्य वन संरक्षक, लखनऊ मण्डल, उ०प्र०, लखनऊ।
2. प्रभागीय निदेशक, सामाजिक वानिकी प्रभाग, हरदोई।
3. मुख्य क्षेत्रीय प्रबन्धक, एच०पी०सी०एल०, प्लॉट न० 1, नेहरू इनक्लेव, गोमती नगर, लखनऊ।

26/9
(पंकज मिश्र)
मुख्य वन संरक्षक/नोडल अधिकारी,
-ACM उ०प्र०, लखनऊ।

SC